2. 2.3148 हैक्टेयर किस्म सेवज, सरहद मौजा रामनगर, पटवार क्षेत्र थोब, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब, तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा में स्थित है। उक्त सम्पूर्ण खातेदारी भूमि पर एकमात्र कब्जा काश्त चला आ रहा है । मौके पर सीमा चिन्ह नहीं होने से काश्त के समय अक्सर प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के बीच खेत की सीमाओ को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है । प्रार्थीगण द्वारा पूर्व मे तहसीलदार कल्याणपुर के आदेश कमांक/भू.अ/सीमाज्ञान/2022/194 दिनांक 01.02.2022 को सीमाज्ञान आदेश प्राप्त कर दिनांक 26.02.2023 को सीमाज्ञान करवाया किन्तु विप्रार्थीगण उससे संतुष्ट नहीं हुए इस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह प्रार्थना –पत्र पेश किया गया है ।

3. प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थी सख्या 1 व 3 ने दिनांक 28.06.2023 को स्वंय उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए तो हम विप्रार्थी संख्या 1 व 3 को कोई आपत्ति नहीं है । विप्रार्थी संख्या 1 व 3 दिनांक 28.06.2023 को जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात आगामी सुनवाई दिनांक मे लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उक्त विप्रार्थीगण के विरूद्व अदम हाजरी मे एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई ।

विप्रार्थी संख्या –02 तथा 05 बावजूद बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस सूचना के अनुपस्थित। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नहीं होने [illegible] अदम पैरवी व अदम हाजरी पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही [illegible] की गई।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.27 19:44:03 IST
Reason: SelfAttested

विप्रार्थी संख्या –04 की ओर अधिवक्ता सुरेश नारायण खारवाल ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त आराजी मे हम विप्रार्थी की आवंटन

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

सुदा व कब्जासुदा भूमि प्रार्थीगण के पास अवश्य स्थित है, हमने हमारे हक मे आवंटित भूमि के अलावा अन्य किसी भूमि पर हमारा कब्जा नहीं है, हम अपनी हद मे बाउण्डरी वॉल बना रहे है। प्रार्थीगण के खसरान की भूमि नियमानुसार नेखमबंदी की जाती है एवं हमारे कब्जे की भूमि को छोडकर नेखमबंदी की जाती है तो विप्रार्थी संख्या 04 को कोई उजर एतराज नहीं है । जनहित मे सरकारी योजनाओ के तहत वर्तमान मे हमारे आवंटन सुदा भूमि मे कार्य चल रहा है ।

3. तत्पश्चात प्रकरण मे बहस सुनी गई । वकील प्रार्थीगण ने दोराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा रामनगर, पटवार क्षेत्र थोब, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब, तहसील कल्याणपुर की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 580 / 151 रकबा 2. 3148 हैक्टेयर व खसरा संख्या 582 / 151 रकबा 2.3148 हैक्टेयर किस्म सेवज भूमि मे आई हुई है । जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा रामनगर, पटवार क्षेत्र थोब, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब, तहसील कल्याणपुर की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 580 / 151 रकबा 2.3148 हैक्टेयर व खसरा संख्या 582 / 151 रकबा 2.3148 हैक्टेयर किस्म सेवज भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमाये जावे।

वकील विप्रार्थी संख्या 04 के वकील ने दोहराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आराजी मे हम विप्रार्थी की आवंटनसुदा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.27 19:44:03 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

व कब्जाशुदा भूमि प्रार्थीगण के पास अवश्य स्थित है, हमने हमारे हक मे आवंटित भूमि के अलावा अन्य किसी भूमि पर हमारा कब्जा नही है, हम अपनी हद मे बाउण्ड्री वॉल बना रहे है। प्रार्थीगण के खसरान की भूमि नियमानुसार नेखमबंदी की जाती है एवं हमारे कब्जे की भूमि को छोडकर नेखमबंदी की जाती है तो विपक्षी संख्या 04 को कोई उजर एतराज नहीं है ।

4. हमने उभय पक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुनते हुए उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया । जिसमे पाया कि मौजा रामनगर, पटवार क्षेत्र थोब, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र थोब, तहसील कल्याणपुर की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 580/151 रकबा 2.3148 हैक्टेयर व खसरा संख्या 582/151 रकबा 2.3148 हैक्टेयर किस्म सेवज भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2079-2082 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, ताकि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग-उपभोग कर सके। पत्रावली संलग्न सीमाज्ञान मौका फर्द दिनांक 26.02.2022 के अनुसार मौके पर प्रार्थीगण एवं पड़ौसी खातेदारो के मध्य सीमाओं का विवाद है, अतः प्रकरण मे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमा मे विवाद का तत्व विद्यमान होने के कारण प्रार्थना-पत्र, प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रकरण मे प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य है ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.27 19:44:03 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

—: आदेश :—

उपरोक्त विवेचन के आलोक मे प्रार्थना–पत्र, प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांति साबित होने व सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कल्याणपुर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर खसरा संख्या 580/151 रकबा 2.3148 हैक्टेयर व खसरा संख्या 582/151 रकबा 2.3148 हैक्टेयर किस्म सेवज मौजा रामनगर, पटवार क्षेत्र थोब, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब, तहसील कल्याणपुर का धारा 111 मे विहित प्रकिया की अनुपालना करते हुए नियमानुसार सीमाज्ञान करते हुए प्रार्थीगण की खातेदारी भूमी सीमा की नेखमबंदी करने के आदेश दिए जाते है। वक्त नेखमबंदी उभय पक्षकारन मौके पर उपस्थित रहने तथा आवश्यकता होने पर सबंधित पुलिस थाना कल्याणपुर से इमदाद प्राप्त की जाए। कमीश्नर फीस 1500/–रूपये प्रार्थीगण अदा करेंगे। तहसीलदार कल्याणपुर तथा थानधिकारी कल्याणपुर को पालनार्थ तहरीर जारी हो । कार्यवाही बाद पालना रिपोर्ट शामिल मिसल हो ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक 06.10.2023 को आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.27 19:14:03 IST
Reason: SelfAttested